



2026 : AHC : 38818

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6976 वर्ष 2026

शैलेंद्र कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: शैलेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 3 को वाद संख्या RST/5641/2025 (पुराना केस संख्या 0311/2018) (कंप्यूटर वाद संख्या T202516670405641) में दायर बहाली आवेदन को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को उपरोक्त आवेदन को कानून के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

20 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।